

हिमाचल प्रदेश जनवरी 2026 सामयिकी

हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती को मंजूरी दी

खबर क्या है?

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिसिनल मकसद के लिए कैनेबिस की कंट्रोल्ड खेती की इजाजत देने के एक अहम फैसले को मंजूरी दे दी है, जो राज्य के एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क में एक बड़ा बदलाव है। इस कदम ने भविष्य में सरल रेगुलेटरी मॉनिटरिंग के तहत इसे लीगलाइज़ करने का रास्ता तैयार कर दिया है।

मुख्य बातें:

- कैबिनेट ने एक एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है जिसमें सरल निगरानी में रेगुलेटेड कैनेबिस की खेती की सिफारिश की गई है।
- चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डॉ. वाईएस परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
- गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सिर्फ कम से कम नशे वाले गुण (कम THC) वाले बीजों की खेती की जाएगी; खेती पर एक्साइज़ और टैक्सेशन डिपार्टमेंट और कानून लागू करने वाली एजेंसियां कड़ी नज़र रखेंगी।
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 और संबंधित राज्य NDPS नियमों का पालन करेंगी।
- समिति की सिफारिशों में पूरी आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने के लिए राज्य एनडीपीएस नियमों में संशोधन करना भी शामिल है - खेती से लेकर परिवहन और अंतरराज्यीय आवागमन तक।
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिमाचल की ज़मीन और मौसम कैनेबिस की खेती के लिए सही है, जिससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है और पैसे कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

पृष्ठभूमि:

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में कैनेबिस (भांग) अपने आप उगता है, लेकिन नारकोटिक चिंताओं के कारण NDPS एक्ट के तहत इसकी खेती पर पहले से बैन लगा हुआ है। हाल की पॉलिसी चर्चाओं में इसका नॉन-नारकोटिक इस्तेमाल जैसे फाइबर, बीज, दवा के अर्क और इंडस्ट्रियल इनपुट को खोजने पर ज़ोर दिया गया है, जो रेगुलेटेड कैनेबिस मार्केट में बड़े ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाते हैं।

हिमाचल ने इकोलॉजिकल सहयोग के लिए भूटान को चिलगोजा के पौधे भेजे

खबर क्या है?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो हिमालयी क्षेत्रों के बीच इकोलॉजिकल सहयोग के तहत हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट से भूटान के लिए चिलगोजा (*Pinus gerardiana*) के पौधे ले जा रही एक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर खाना किया।

यह पहल हिमाचल प्रदेश और भूटान के बीच पर्यावरण संबंधों को मज़बूत करने और बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन में नॉलेज-शेयरिंग को दिखाती है।

मुख्य बातें:

- चिलगोजा के पौधे ले जा रही गाड़ी को हिमाचल सचिवालय, शिमला से हरी झंडी दिखाकर खाना किया गया।
- यह पहल हिमाचल प्रदेश और भूटान, दोनों हिमालयी क्षेत्रों के बीच इकोलॉजिकल पार्टनरशिप का प्रतीक है।
- मुख्यमंत्री ने बताया:
 - साझा हिमालयी पारिस्थितिकी
 - सामान्य पर्यावरणीय चुनौतियाँ
 - सतत पर्वतीय विकास का महत्व
- चिलगोजा पाइन इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली इन वजहों से ज़रूरी है:
 - मृदा संरक्षण
 - भूमि क्षरण को रोकना
 - स्थानीय आजीविका का समर्थन
- इस कदम से इन बातों को बढ़ावा मिलेगा:
 - वानिकी में सीमा पार सहयोग
 - जैव विविधता संरक्षण
 - जलवायु-लचीला वनीकरण

चिलगोजा (*Pinus gerardiana*) के बारे में

- इसे आमतौर पर चिलगोजा पाइन के नाम से जाना जाता है।
- मूल निवासी:
 - पश्चिमी हिमालय
 - हिमाचल प्रदेश (विशेषकर किन्नौर क्षेत्र)
- खाने लायक पाइन नट्स (ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू) पैदा करता है।
- इसके लिए अनुकूलित:
 - शुष्क समशीतोष्ण जलवायु
 - चट्टानी पहाड़ी इलाका
- इसमें अहम भूमिका निभाता है:
 - मृदा अपरदन को रोकना

- नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखना

चिलगोजा के जंगल इकोलॉजिकली सेंसिटिव और इकोनॉमिकली कीमती माने जाते हैं।

पृष्ठभूमि :

हिमाचल प्रदेश सक्रिय रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा दे रहा है:

- वनरोपण कार्यक्रम
- जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ
- उच्च ऊँचाई वाली प्रजातियों का संरक्षण

भूटान, जो अपनी मज़बूत एनवायरनमेंटल पॉलिसी और 60% जंगल बनाए रखने के कानूनी अधिकार के लिए जाना जाता है, हिमालय से जुड़ी इकोलॉजिकल चिंताओं को भी साझा करता है।

यह पहल इन बातों से जुड़ी है:

- क्षेत्रीय पारिस्थितिक कूटनीति
- सतत पर्वतीय विकास
- जलवायु परिवर्तन शमन प्रयास

हिमाचल प्रदेश के CORD को महावीर अवॉर्ड (एजुकेशन कैटेगरी) के लिए चुना गया

खबर क्या है?

ज़मीनी स्तर पर विकास की कोशिशों के लिए एक बड़ी पहचान देते हुए, हिमाचल प्रदेश की संस्था CORD (चिन्मय ऑर्गनाइज़ेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट), जो इनक्लूसिव और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है, को मशहूर महावीर अवॉर्ड (एजुकेशन कैटेगरी) के लिए चुना गया है।

यह अवॉर्ड CORD के शिक्षा और समुदाय द्वारा चलाए जा रहे विकास के कामों के ज़रिए पिछड़े समुदायों को मज़बूत बनाने में लंबे समय से चले आ रहे योगदान को पहचान देता है।

मुख्य बातें:

- CORD को शिक्षा के लिए महावीर पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- महावीर अवॉर्ड हर साल सोशल सेक्टर में बेहतरीन सेवा के लिए अलग-अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं।
- हर अवॉर्ड में शामिल हैं:
 - ₹10 लाख का नकद पुरस्कार
 - प्रशंसनीय प्रशस्ति पत्र
 - स्मृति चिन्ह
- CORD की स्थापना परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद ने की थी।
- संगठन इन पर ध्यान देता है:
 - शिक्षा सशक्तिकरण
 - कौशल विकास
 - स्वास्थ्य जागरूकता
 - आजीविका सहायता
 - महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों पर विशेष जोर
- यह अवॉर्ड भगवान महावीर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।
- फाउंडेशन के संस्थापक एन. सुगलचंद जैन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कॉर्ड का कार्य सामाजिक परिवर्तन और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को उत्प्रेरक के रूप में दर्शाता है।

पृष्ठभूमि:

CORD (चिन्मय ऑर्गनाइज़ेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट) दशकों से हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में कम्युनिटी-बेस्ड पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मॉडल पर फोकस करते हुए काम कर रहा है।

इसका तरीका इन चीज़ों को जोड़ता है:

- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

- समावेशी शिक्षा
- ग्रामीण उद्यमिता
- विकलांगता समावेशन
- सतत आजीविका पहल

भगवान महावीर फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए महावीर अवार्ड्स, शिक्षा, हेल्थकेयर, समाज सेवा और मानवीय काम जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले लोगों और संगठनों को पहचान देते हैं।

यह पहचान ज़मीनी स्तर पर सामाजिक इनोवेशन और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास में हिमाचल प्रदेश के योगदान को दिखाती है।

'ऑपरेशन क्लॉइंग बैक' – शिमला में अवैध वन्यजीव सामग्री जब्त

खबर क्या है?

गैर-कानूनी जंगली जानवरों के व्यापार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शिमला जिले में 'ऑपरेशन क्लॉइंग बैक' शुरू किया और रोहडू में ज्वेलरी की दुकानों से 100 से ज्यादा जंगली जानवरों से जुड़ी चीज़ें जब्त कीं, जिनमें शक के तौर पर तेंदुए के पंजे, दांत और पक्षियों के पंख शामिल हैं। इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्य बातें:

- **कुल जब्त सामान:**
 - 86 संदिग्ध तेंदुए के पंजे
 - 5 जानवरों के दांत
 - एक अज्ञात जानवर का 1 पंजा
 - 10 अज्ञात पक्षियों के पंख
- **रोहडू (शिमला ज़िले) में मेन मार्केट और लोअर बाज़ार इलाकों में की गई।**
- **डिप्टी रेंजर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स और वन मित्रों की 45 लोगों की टीम ने एक साथ छापेमारी की।**
- **छह गिरफ्तारियां हुईं - पांच दुकान मालिक और एक मैनेजर।**
- **सजावटी ज्वेलरी में इस्तेमाल के लिए थीं।**
- **फॉरेंसिक जांच वाइल्डलाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (WII), देहरादून के साथ मिलकर की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके:**
 - प्रजातियों की पहचान
 - प्रामाणिकता
 - वस्तुओं की आयु
- **इस मामले में केस दर्ज किया गया है:**
 - धारा 42ए
 - धारा 44
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49बी
- **फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पोचिंग, गैर-कानूनी शिकार और वाइल्डलाइफ़ ट्रेड के खिलाफ़ ऑपरेशन तेज़ करने का ऐलान किया है।**

पृष्ठभूमि:

हिमाचल प्रदेश में अवैध वन्यजीव व्यापार

हिमाचल प्रदेश, जिसमें तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ, हिमालयी काला भालू और मोनाल जैसी प्रजातियां शामिल हैं, अपनी समृद्ध जैव विविधता

के कारण अवैध शिकार और जानवरों के अंगों के व्यापार से खतरों का सामना कर रहा है।

वन्यजीवों की चीज़ें जैसे पंजे, दांत, खाल और पंख अक्सर गैर-कानूनी तरीके से इन कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं:

- गहने
- पारंपरिक मान्यताएँ
- कालाबाजारी व्यापार

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

यह एक्ट जंगली जानवरों को कानूनी सुरक्षा देता है और इन चीज़ों पर रोक लगाता है:

- संरक्षित प्रजातियों का शिकार
- पशु अंगों का व्यापार
- बिना अनुमति के कब्ज़ा

इस मामले में इस्तेमाल की गई धाराएं इनसे जुड़ी हैं:

- वन्यजीव वस्तुओं का अवैध व्यापार और सौदा
- लाइसेंसिंग उल्लंघन
- पशु अंगों का कब्ज़ा और बिक्री

JICA ने पालमपुर सीड फार्म में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना की समीक्षा की

खबर क्या है?

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के सीनियर अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट (HPCDPP) के तहत वेजिटेबल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, भट्टू (पालमपुर के पास) में डेवलपमेंट के कामों का मिड-टर्म रिव्यू किया।

रिव्यू का मकसद प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मॉडर्न खेती के तरीकों और मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम का आकलन करना था।

मुख्य बातें:

- प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेआईसीए इंडिया कार्यालय के मुख्य प्रतिनिधि और हिमाचल प्रदेश के कृषि सचिव डॉ. सी. पालरासु ने किया।
- में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (BPMU), पालमपुर के कामों पर फोकस किया गया।

इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कामों का रिव्यू:

- जल भंडारण टैंकों की मरम्मत और निर्माण
- ट्यूबवेल में सोलर पावर्ड पंपिंग सिस्टम लगाना
- खेत क्षेत्रों की बाड़ लगाना
- वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना
- पॉली हाउस की मरम्मत
- 4.755 हेक्टेयर में काम करने वाला माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम

प्रदर्शन और आधुनिक खेती:

- 2.5 बीघा मॉडल डेमो प्लॉट का विकास
- सब्जियों और फलों की फसलों की खेती, विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी
- स्थापना:
 - सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली
 - मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए मल्टिचिंग शीट
- विकास कार्यों पर लगभग ₹50 लाख खर्च हुए

मार्केट लिंकेज सपोर्ट:

- भट्टू में कलेक्शन सेंटर और रिटेल आउटलेट का दौरा
- हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट का रिव्यू
- इस पर जोर:
 - किसान-से-बाज़ार सीधा संपर्क
 - बिचौलियों को खत्म करना

○ किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना
 अधिकारियों ने प्रोग्रेस की तारीफ़ की और किसानों की इनकम और सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देने के लिए इसे और बेहतर बनाने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि:

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना (एचपीसीडीपीपी)

- JICA (जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी) द्वारा समर्थित
- का उद्देश्य:
 - उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दें
 - सिंचाई बुनियादी ढांचे में सुधार
 - बाजार संबंधों को मजबूत करना
 - किसानों की आय बढ़ाएँ
 - जलवायु-रोधी कृषि को बढ़ावा देना

🇮🇳 भारत में JICA

JICA ये सुविधाएँ देता है:

- आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण
- तकनीकी सहयोग
- बुनियादी ढांचा और कृषि सहायता

हिमाचल प्रदेश में, JICA-सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स इन पर फोकस करते हैं:

- स्थायी कृषि
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा
- फसल विविधीकरण
- जलवायु अनुकूलन उपाय

हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम झील (रामसर साइट) में सॉन्ग थ्रश का दुर्लभ नज़ारा

खबर क्या है?

पोंग लेक वेटलैंड में एक दुर्लभ सॉन्ग थ्रश (टर्डस फिलोमेलोस) पक्षी देखा गया है। यह पक्षी मुख्य रूप से यूरोप और पश्चिम एशिया में प्रजनन करता है। यह पक्षी शाह नेहर बैराज झील के आउटफ्लो एरिया के पास सथाना गांव के पास देखा गया। यह तब हुआ जब हिमाचल प्रदेश वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट ने सालाना पक्षी जनगणना की। यह एक महत्वपूर्ण पक्षीविज्ञान घटना है, क्योंकि भारत में इस प्रजाति का दिखना बहुत कम होता है।

मुख्य बातें:

- इस पक्षी को महेश और अक्षय भारद्वाज ने सालाना पक्षी जनगणना के दौरान देखा था।
- पर्यावास: सरकंडों, झाड़ियों और बिखरे पेड़ों के साथ गीली घास के पैच - उपयुक्त सूक्ष्म आवास।
- पक्षी एक्सपर्ट अभिनव और हिमांशु चौधरी ने पहचान की पुष्टि की।

पहचान की विशेषताएं:

- गर्म भूरे रंग के ऊपरी हिस्से
- प्रमुख विंग बार
- गहरे तीर के आकार के धब्बों के साथ क्रीमी अंडरपार्ट्स
- सीधा थ्रश आसन
- पक्षी कुछ देर तक दिखाई दिया और उसकी फोटो खींची गई।
- फॉलो-अप सर्वे में कोई और साइटिंग रिकॉर्ड नहीं हुई।

वैश्विक एवं राष्ट्रीय संदर्भ:

- सॉन्ग थ्रश मुख्य रूप से यूरोप और पश्चिम एशिया में प्रजनन करता है।
- दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में सर्दियाँ।
- भारतीय रिकॉर्ड बहुत कम हैं:
 - पूरे देश में पांच से कम कन्फर्मर्ड सीनिंग।
 - पहले देखे गए:
 - लद्दाख
 - भरतपुर
 - हरिके
 - दिल्ली क्षेत्र
 - हिमाचल में आखिरी बार रिकॉर्ड किया गया: अगस्त 2018 में रंगरिक ना, स्पीति वैली में

पोंग डैम झील के बारे में

- इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है।
- हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है।
- 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया।
- सर्दियों के लिए मुख्य जगह:
 - प्रवासी जलपक्षी
 - पैसरीन पक्षी
- हर साल हज़ारों माइग्रेटरी पक्षी आते हैं।

यह नज़ारा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पर वेटलैंड्स, झाड़ियों और घास के मैदानों की इकोलॉजिकल अहमियत को दिखाता है।

पृष्ठभूमि:

प्रवासी पक्षी और आर्द्रभूमि

पोंग झील जैसे वेटलैंड्स:

- शीतकालीन मैदान
- प्रवास के दौरान रुकने की जगहें
- भोजन और प्रजनन आवास

, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में अहम भूमिका निभाते हैं, जो दुनिया के बड़े माइग्रेटरी बर्ड रूट में से एक है।

यह दुर्लभ दृश्य इस बात को पुख्ता करता है:

- नियमित वन्यजीव जनगणना का महत्व
- आवास संरक्षण की आवश्यकता
- रामसर आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक संवेदनशीलता

ATMA प्रोजेक्ट ने सुंदरनगर, मंडी में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया

खबर क्या है?

ATMA (एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी) प्रोजेक्ट के तहत, मंडी जिले के सुंदरनगर डेवलपमेंट ब्लॉक में ग्राम पंचायत सलापड़ और जड़ोल में नेचुरल खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए फील्ड इंस्पेक्शन किया गया।

डॉ. हरीश ठाकुर (स्टेट कोऑर्डिनेटर, SPIU शिमला) ने लीड किया, साथ में मीडिया एडवाइजर रोहित पराशर और दूसरे एग्रीकल्चर अधिकारी भी थे।

मुख्य बातें:

- ATMA के नेचुरल फार्मिंग कॉम्पोनेंट के तहत फार्म फील्ड स्कूल (FFS) और डेमोस्ट्रेशन साइट्स का इंस्पेक्शन।
- लागू करने की प्रोग्रेस का अंदाज़ा लगाने के लिए बेनिफिशियरी किसानों से सीधी बातचीत।
- इस पर जोर:
 - प्राकृतिक खेती को अपनाना
 - फसल विविधीकरण
 - ATMA के ऑपरेशनल गाइडलाइंस के साथ अलाइनमेंट
- अधिकारियों ने खेत-स्तर की तकनीकों को देखा और किसानों को सस्टेनेबल तरीकों के बारे में गाइड किया।
- नेचुरल खेती के फ़ायदे बताए गए:
 - कम इनपुट लागत
 - बेहतर मृदा स्वास्थ्य
 - बढ़ी हुई दीर्घकालिक उत्पादकता
 - जलवायु लचीलापन में वृद्धि
- मौजूद मुख्य अधिकारी:
 - डॉ. संजय ठाकुर (उप परियोजना निदेशक)
 - डॉ. हितेंद्र ठाकुर
 - ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक नरेंद्र कुमार
 - सहायक प्रबंधक योगराज

इस दौर से ATMA का ज़मीनी स्तर पर खेती को बढ़ाने और किसानों को मज़बूत बनाने पर ध्यान और मज़बूत हुआ।

पृष्ठभूमि:

ATMA क्या है?

एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (ATMA) सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE) के तहत एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।

ATMA के उद्देश्य:

- कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना
- किसान-केंद्रित, सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना
- फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करें
- नवीन तकनीकों को अपनाने में सहायता करना
- किसानों की आय में सुधार

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती

हिमाचल प्रदेश इन पहलों के तहत नेचुरल खेती को बढ़ावा दे रहा है:

- प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (PK3Y)
- कम रासायनिक उपयोग
- स्वदेशी इनपुट को बढ़ावा देना
- मृदा और जल संरक्षण पद्धतियाँ

नेचुरल खेती पहाड़ी राज्यों के लिए खास तौर पर सही है क्योंकि:

- छोटी जोत
- नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र
- कम लागत वाली कृषि की आवश्यकता

ऐतिहासिक पठानकोट-जोगिंदर नगर नैरो गेज लाइन के आधुनिकीकरण का इंतज़ार

खबर क्या है?

ऐतिहासिक पठानकोट-जोगिंदर नगर नैरो गेज रेलवे लाइन — भारत की सबसे पुरानी और सबसे लंबी नैरो-गेज पहाड़ी रेलवे में से एक — आधुनिकीकरण और ब्रॉड-गेज रूपांतरण का इंतज़ार कर रही है, भले ही स्थानीय मांगों और रणनीतिक सर्वेक्षण समकालीन परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाइन को अपग्रेड करने पर जोर दे रहे हों।

मुख्य बातें:

- पठानकोट -जोगिंदर नगर रेलवे लाइन, जिसे कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से भी जाना जाता है, 1926 में ब्रिटिश राज के दौरान शानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी के ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने और रीजनल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए शुरू की गई थी।
- खूबसूरत कांगड़ा घाटी में फैली इस लाइन में कई सुरंगें, पुल और तीखे मोड़ हैं - जो शुरुआती पहाड़ी रेलवे इंजीनियरिंग को दिखाते हैं।
- लगभग एक सदी से चल रहे ऑपरेशन में, नैरो गेज लाइन की एफिशिएंसी में गिरावट देखी गई है, इसकी वजहें हैं:
 - पुराना होता बुनियादी ढांचा
 - कम गति और सीमित वहन क्षमता
 - बार-बार रखरखाव संबंधी समस्याएं
 - रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने से पैसेंजर का इस्तेमाल कम हुआ।
- ब्रॉड गेज कन्वर्जन की मांग की है ताकि सुधार हो सके:
 - यात्री आवागमन
 - माल परिवहन
 - पर्यटन क्षमता
 - पहाड़ी ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी।
- खबर है कि गेज कन्वर्जन के लिए सर्वे पूरा हो गया है, और ब्रॉड गेज कन्वर्जन के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पक्का इम्प्लीमेंटेशन प्लान अनाउंस नहीं किया गया है।
- चक्की पुल के ढहने के बाद - केवल कुछ हिस्सों में ही आंशिक सेवाएं बहाल की गई हैं, जिससे आधुनिकीकरण की सार्वजनिक मांग बढ़ गई है।

पृष्ठभूमि:

कांगड़ा घाटी रेलवे (केवी रेलवे)

- पठानकोट -जोगिंदर नगर रेलवे कांगड़ा घाटी रेलवे प्रणाली का हिस्सा है, जो 2 फीट 6 इंच (762 मिमी) की संकीर्ण

गेज लाइन है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उप-हिमालयी क्षेत्र के माध्यम से लगभग 164 किमी तक फैली है।

- इसे 1926-1929 के बीच बनाया गया था, जो पालमपुर, बैजनाथ और जोगिंदर नगर जैसे दूरदराज के पहाड़ी शहरों को पठानकोट के मैदानी इलाकों से जोड़ता था।
- इस इलाके के यात्रियों, किसानों और व्यापारियों के लिए एक सस्ता और ज़रूरी ट्रांसपोर्ट लिंक थी।

RDG से बाहर निकलने से हिमाचल प्रदेश में राजकोषीय मितव्ययिता को बढ़ावा मिला

खबर क्या है?

16वें फाइनेंस कमीशन के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को बंद करने की सिफारिश के बाद हिमाचल प्रदेश को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। यह राज्य के लिए पैसे की मदद का एक बड़ा ज़रिया है। इसके जवाब में, सरकार ने डिपार्टमेंट्स को फिजूलखर्ची रोकने और और रिसोर्स जुटाने का निर्देश दिया है, साथ ही बजट के दबाव से निपटने के लिए सोची-समझी बचत की स्ट्रैटेजी का संकेत दिया है।

मुख्य बातें:

- रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG), जो हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू खर्च के अंतर को कम करने के लिए फिस्कल सपोर्ट देता था, 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के बाद बंद किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अनुमानित कमी को देखते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाएं और अनावश्यक खर्च कम करें।
- कैबिनेट ने RDG से बाहर निकलने के असर का रिव्यू किया और बड़ी, बिना सोचे-समझे कटौती के बजाय सोच-समझकर सख्ती बरतने का फैसला किया।
- राज्य ने पैसे की तंगी के बावजूद, ज़रूरी ऑपरेशनल स्कीम (OPS) और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए अपना वादा दोहराया है।
- सरकार नए लॉटरी नियमों और बड़े फाइनेंसिंग सुधारों जैसे रेवेन्यू बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार कर रही है।

पृष्ठभूमि:

रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) क्या है?

- RDG, फाइनेंस कमीशन के फ्रेमवर्क के तहत एक फिस्कल ट्रांसफर मैकेनिज्म है। इसका मकसद उन राज्यों को सपोर्ट करना है जिनका रेवेन्यू खर्च, रेवेन्यू रिसीट्स से ज़्यादा है — इससे डेवलपमेंट या वेलफेयर स्कीम्स में कटौती किए बिना, रेगुलर खर्च को पूरा करने में असरदार तरीके से मदद मिलती है।
- पहाड़ी इलाके, सीमित रेवेन्यू बेस और ज़्यादा पर-कैपिटल खर्च की वजह से पहले से ही RDG पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहा है।
- RDG के धीरे-धीरे खत्म होने से, राज्य को बजट का दबाव झेलना पड़ सकता है, जिसमें सब्सिडी में कटौती, सोशल स्कीम का रिव्यू, अलाउंस फ्रीज़ करना, और अगर दूसरे रिसोर्स नहीं जुटाए गए तो खर्च कम करना शामिल है।

राजकोषीय चुनौती

- FY 2021-26 में, RDG ने हिमाचल के रिसोर्स का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया, जिससे एक बड़े स्ट्रक्चरल फिस्कल गैप को कम करने में मदद मिली।
- इसे बंद करने से राज्य को रेवेन्यू की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, कर्ज चुकाने का बोझ बढ़ सकता है, और सब्सिडी और सोशल खर्च में कटौती हो सकती है।

वन विभाग ने पांवटा साहिब में अवैध खनन पर दो महीने की कार्रवाई में ₹7.45 लाख जुटाए

खबर क्या है?

हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब इलाके में गैर-कानूनी माइनिंग पर दो महीने तक कार्रवाई करते हुए फाइन और पेनल्टी के तौर पर ₹7.45 लाख वसूले हैं। यह कार्रवाई गैर-कानूनी माइनिंग को रोकने और नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए फॉरेस्ट और एनवायरनमेंटल कानूनों को सख्ती से लागू करने को दिखाती है।

मुख्य बातें:

- वन विभाग ने पांवटा साहिब क्षेत्र में अवैध खनन और पत्थर निकालने के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।
- इस कार्रवाई में नियम तोड़ने वालों से ₹7.45 लाख जुर्माना और पेनल्टी के तौर पर वसूले गए।
- कई बिना इजाजत वाली माइनिंग साइट्स की पहचान की गई और ज़रूरी कानूनों के तहत रेगुलेटरी कार्रवाई की गई।
- एनफोर्समेंट अधिकारियों ने गैर-कानूनी खदान में लगे लोगों और कंपनियों को नोटिस और चालान जारी किए।
- इस ऑपरेशन में लोकल अथॉरिटी और एनफोर्समेंट विंग के साथ कोऑर्डिनेशन शामिल था ताकि इन नियमों का पालन पक्का किया जा सके:
 - भारतीय वन अधिनियम, 1927
 - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
 - हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत नियम, 2010
- फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अनरेगुलेटेड माइनिंग से प्रभावित फॉरेस्ट कवर, वाटरशेड एरिया और बायोडायवर्सिटी को बचाने के अपने कमिटमेंट पर ज़ोर दिया।

पृष्ठभूमि:

हिमाचल में अवैध खनन

- हिमाचल प्रदेश, अपने पहाड़ी इलाके के कारण, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट और बजरी (नदी के किनारे की बजरी) जैसे छोटे मिनरल्स से भरपूर है।
- अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ अनरेगुलेटेड हों, तो ये हो सकती हैं:
 - वनों की कटाई
 - मिट्टी का कटाव
 - भूस्खलन
 - नदियों में अवसादन
 - वन्यजीवों के लिए आवास का नुकसान

हिमाचल प्रदेश को PMGSY लागू करने के लिए केंद्र से ₹46.12 करोड़ की मदद मिली

खबर क्या है?

भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अच्छे से काम करने के लिए ₹46.12 करोड़ का इंसेंटिव जारी किया है। यह योजना ग्रामीण सड़क विकास का एक अहम प्रोग्राम है। यह घोषणा विक्रमादित्य सिंह ने की, जिसमें ग्रामीण कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी को बेहतर बनाने में मिली कामयाबी पर ज़ोर दिया गया।

मुख्य बातें:

- केंद्र ने PMGSY को अच्छे से लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को ₹46.12 करोड़ का इंसेंटिव मंज़ूर किया है।
- स्कीम के तहत राज्य के समय पर काम पूरा करने, काम की क्वालिटी और फिजिकल और फाइनेंशियल टारगेट को पूरा करने को दिखाता है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का मकसद उन इलाकों को हर मौसम में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी देना है, जहां सड़क नहीं है।
- यह प्रोत्साहन प्रदर्शन से जुड़े नतीजों को पुरस्कृत करता है — जिससे राज्यों को ग्रामीण बुनियादी ढांचा प्रभावी ढंग से देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- राज्य के नेताओं और अधिकारियों की मौजूदगी में की गई, जिससे ग्रामीण विकास पर राज्य की प्राथमिकता पर ज़ोर दिया गया।

पृष्ठभूमि:

PMGSY क्या है?

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य मकसद पूरे भारत में ग्रामीण इलाकों को हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी देना था।

PMGSY की मुख्य विशेषताएं:

- इलाके के आधार पर आबादी के क्राइटेरिया के साथ, बिना कनेक्शन वाली योग्य बस्तियों की कनेक्टिविटी पर फोकस करता है।
- गांव की सड़कें मानसून और खराब मौसम को झेलने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- क्वालिटी कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड और समय पर पूरा करने पर ज़ोर।
- राज्य PWD/ग्रामीण विकास विभागों के ज़रिए लागू किया जाएगा और राज्य के हिस्से से केंद्र से फंड किया जाएगा।

प्रदर्शन-संबंधी प्रोत्साहन:

PMGSY के तहत इंसेंटिव फंडिंग उन राज्यों को दी जाती है जो:

- तय समय और टारगेट के अंदर प्रोजेक्ट पूरे करें,
- क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखें,
- फंड का सही इस्तेमाल दिखाएं।

हिमाचल का इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में अच्छे गवर्नेंस को दिखाता है, जो दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है।

हिमाचल प्रदेश दुनिया के सबसे ज़्यादा स्वागत करने वाले इलाकों में से एक है

खबर क्या है?

हिमाचल प्रदेश को “दुनिया के सबसे ज़्यादा स्वागत करने वाले इलाकों” में से एक माना गया है। यह सम्मान राज्य की शानदार हॉस्पिटैलिटी, कल्चरल अपनापन, सुरक्षा और कुल मिलाकर विज़िटर एक्सपीरियंस को दिखाता है, जिससे भारत में एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर इसकी रेप्युटेशन और मज़बूत होती है।

मुख्य बातें:

- ट्रेवल इंडस्ट्री के इवैल्यूएशन और विज़िटर फ़ीडबैक के आधार पर, हिमाचल प्रदेश **सबसे ज़्यादा स्वागत करने वाले इलाकों की ग्लोबल लिस्ट में शामिल है।**
- यह रैंकिंग राज्य की:
 - गर्मजोशी से आतिथ्य
 - बचाव और सुरक्षा
 - सांस्कृतिक विविधता
 - मैत्रीपूर्ण स्थानीय समुदाय
- यह पहचान **टूरिज्म ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है**, खासकर महामारी के बाद के ट्रेवल के समय में।
- इस सम्मान में हिमाचल के खास आकर्षणों पर भी ज़ोर दिया गया है:
 - हिमालयी परिदृश्य और घाटियाँ
 - शांत झीलें और नदियाँ
 - साहसिक पर्यटन (ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग)
 - विरासत और सांस्कृतिक उत्सव
 - इको-पर्यटन और आध्यात्मिक स्थल
- टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स और लोकल अथॉरिटीज़ ने इस पहचान का स्वागत किया है और कहा है कि इससे **विदेशी और घरेलू टूरिस्ट्स को बढ़ावा मिलेगा।**

पृष्ठभूमि:

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन

हिमाचल प्रदेश लंबे समय से भारत के पॉपुलर टूरिज्म सर्किट का हिस्सा रहा है, जो इन चीज़ों के लिए जाना जाता है:

- **शिमला और मनाली** (पहाड़ी स्टेशन)
- **धर्मशाला-मैकलॉडगंज** (सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन)
- **कसोल और पार्वती घाटी** (प्रकृति और साहसिक पर्यटन)

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)

तिब्बती पहचान के लिए US सपोर्ट — लोसार ग्रीटिंग्स और स्पेशल कोऑर्डिनेटर अपॉइंटमेंट

खबर क्या है?

तिब्बती नव वर्ष **लोसार** के अवसर पर, जो अग्रे घोड़े के वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, **अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो** ने दुनिया भर के तिब्बतियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और तिब्बती लोगों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान का समर्थन करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रुबियो ने **तिब्बती मुद्दों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष समन्वयक** के रूप में लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम मामलों के सहायक सचिव, **रिले एम. बार्न्स** की नियुक्ति की भी घोषणा की - यह एक आधिकारिक भूमिका है जिसका उद्देश्य तिब्बत पर अमेरिकी नीति का समन्वय करना है, जिसमें मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक संरक्षण शामिल है। इस कदम का **धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए)** ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। तिब्बत अमेरिका-चीन संबंधों में एक संवेदनशील विषय बना हुआ है, वाशिंगटन ने तिब्बती धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए बार-बार समर्थन व्यक्त किया है,

मुख्य बातें:

- **🇺🇸 लोसार शुभकामनाएं:** मार्को रुबियो ने “लोसार ताशी डेलेक” शुभकामनाएं दीं और तिब्बती नव वर्ष के पहले दिन तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- **स्पेशल कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति:** रिले एम. बार्न्स को तिब्बत के बारे में US पॉलिसी की देखरेख के लिए **तिब्बती मुद्दों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल कोऑर्डिनेटर** के तौर पर नियुक्त किया गया।
- **अधिकारों और पहचान के लिए सपोर्ट:** इस भूमिका से तिब्बती धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा करने की कोशिशों को मज़बूत करने और तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
- **🇨🇳 US-चीन डायनामिक्स:** यह घोषणा चीन के साथ जारी डिप्लोमैटिक सेंसिटिविटी के बीच आई है, जो तिब्बत को एक अंदरूनी मामला मानता है और विदेशी दखल का विरोध करता है।
- **CTA का जवाब:** सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस अपॉइंटमेंट का स्वागत किया, उम्मीद है कि इससे तिब्बती नेताओं और चीनी सरकार के बीच बातचीत बढ़ेगी।

पृष्ठभूमि:

- लोसर तिब्बती नए साल का पारंपरिक त्योहार है, जिसे तिब्बत, भारत, नेपाल और दुनिया भर में रहने वाले तिब्बती लोग मनाते हैं।
- यह एक बड़ा कल्चरल मौका है जिसमें प्रार्थना, परिवार के साथ मिलना-जुलना और कम्युनिटी के रीति-रिवाज शामिल होते हैं ताकि चांद के साल की शुरुआत में खुशहाली, सेहत और नई जान आए।
- तिब्बती मुद्दों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल कोऑर्डिनेटर की भूमिका तिब्बत पॉलिसी एक्ट, 2002 के तहत दी गई है। इसका मकसद तिब्बती अधिकारों, सांस्कृतिक सुरक्षा और मानवाधिकारों से जुड़ी US पॉलिसी में हाई-लेवल कोऑर्डिनेशन पक्का करना है — जिसमें परम पावन दलाई लामा और चीन सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत को आसान बनाना, और देश निकाला में रह रहे तिब्बती समुदाय को सपोर्ट करना शामिल है।
- CTA का हेडक्वार्टर भारत के धर्मशाला में है। यह तिब्बती निर्वासित समुदाय के सिविल मामलों को देखता है और इसने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का समर्थन करने वाले इंटरनेशनल कदमों का स्वागत किया है।